



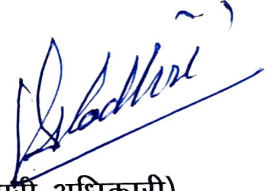
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

दिनांक: 19 / 02 / 2026

पत्रांक: सवप / 2026 / बी030 / 1166

खुली बोली नीलामी सूचना

"स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के बीज विधायन केन्द्र पर लगभग 865.70 कुन्तल खाद्यान्न (धान, गेहूँ, सरसों, उर्द, अरहर, मूँग एवं मसूर आदि) की खुली बोली नीलामी दिनांक 23.02.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे बीज भंडार गृह पुराने परिसर पर की जाएगी। इच्छुक अधिकृत क्रेता समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी का पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svbpm Meerut.ac.in पर देखा जा सकता है।"


(प्रभारी अधिकारी)
बीज विधायन केन्द्र



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ-250110

आवश्यक सूचना

पत्रांक : सवप/2026/बी030/1163
दिनांक : 19/02/2026

खुली बोली नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के बीज विधायन केन्द्र पर निम्न खाद्यान्नों की नीलामी खुली बोली के आधार पर होनी है जिसका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कृषि उत्पाद का विवरण	अनुमानित मात्रा (कु0 में)
1.	धान बासमती ग्रेडिड मिक्सचर	180.00
2.	धान छानस	220.00
3.	अरहर छानस	1.36
4.	उर्द छानस	2.25
5.	मूँग छानस	1.20
6.	गेहूँ छानस	300.20
7.	गेहूँ मिक्सचर उपचारित	3.60
8.	गेहूँ ग्रेडिड	73.60
9.	सरसों छानस पीली	12.80
10.	सरसों छानस काली	6.10
11.	चना छानस	1.30
12.	मसूर छानस	2.25
13.	गेहूँ मिक्सचर	29.00
14.	सरसों पीली मिक्सचर	0.90
15.	सरसों काली मिक्सचर	0.60
16.	मसूर मिक्सचर	0.54
17.	धान मिक्सचर	30.00
	योग	865.70
18.	कटे फटे अनउपयुक्त गनी बैग	6 कुन्तल
19.	टूटी फूटी टंकियाँ (छोटी एवं बड़ी)	35

कृपया उक्त कृषि उत्पादों की खुली बोली नीलामी दिनांक 23/02/2026 को 11:00 (a.m.) बजे बीज भण्डार गृह पुराना परिसर कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में की जायेगी। इच्छुक अधिकृत क्रेता समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- उत्पाद जहाँ है जैसा है, के आधार पर बिक्री हेतु प्रस्तावित है। अधिकृत क्रेता नीलामी में भाग लेने से पूर्व उपलब्ध उत्पादों का भली भाँति निरीक्षण कर लें, बाद में उत्पाद की गुणवत्ता आदि पर विचार नहीं होगा। इच्छुक अधिकृत क्रेता विश्वविद्यालय के बीज भण्डार गृह पर उपलब्ध उत्पादों का कार्यालय दिवस/समय में निरीक्षण कर लें।
- मात्रा निर्गत करते समय घट या बढ़ सकती है। सफलतम क्रेता को तदनुसार मात्रा की कीमत जमा करनी होगी।
- नीलामी हेतु जमानत धनराशि ₹0 25,000/- राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जोकि वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय हो, नीलामी के दिन पंजीकरण के समय जमा करना अनिवार्य है।
- खुली बोली दाता बीज विधायन कार्यालय पर दिनांक 23/02/2026 को प्रातः 10:30 बजे पहुँचकर अपना पंजीकरण कराएँगे।
- खाद्यान्नों की मात्रा व गुणवत्ता का अवलोकन दिनांक 20/02/2026 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से किया जा सकता है।
- निविदादाता को खाद्यान्न क्रय विक्रय करने के लिए जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमात्र-पत्र/मण्डी समिति का लाइसेन्स एवं पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
- नीलामी में उच्चतम बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म को आवंटित कृषि उत्पादों की सम्पूर्ण धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल नीलामी वाले दिन (दिनांक 23/02/2026) को ही विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि के रूप में जमा ₹0 25,000 का डिमान्ड ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा एवं द्वितीय उच्च दरों वाली फर्म पर विचार किया जायेगा। उच्चतम बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म द्वारा जमा किये गये ₹0 25,000 का डिमान्ड ड्राफ्ट सम्पूर्ण खाद्यान्न उठाने तक धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगा।

8. मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही उच्चतम दरें मान्य होंगी।
9. खाद्यान्न की मात्रा जहाँ है, जैसा है की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति के बाद एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कर अपने वारदाने में उठाना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मात्रा को न उठाने पर रू0 10 प्रति कुन्तल की दर से प्रतिदिन का भण्डारण शुल्क अलग से देय होगा। बीस दिन के अन्दर न उठाने पर जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. खुली बोली नीलामी में मंडी दरों का भी संज्ञान लिया जायेगा एवं समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित खाद्यान्नों का आधार मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। उक्त आधार मूल्य से ही नीलामी की बोली शुरू होगी।
11. खुली बोली नीलामी की कार्यवाही को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण कार्यवाही को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ को होगा।
12. फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य विवाद की यदि कोई स्थिति होती है तो उसका निस्तारण जनपद मेरठ न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
13. जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 या अन्य किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायी क्रेता का होगा।
14. बीज नीलामी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को सम्पूर्ण प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व उपलब्ध करायी जाएँगी।
15. उपचारित बीज का क्रय करने वाले ठेकेदार/बोलीदाता अपना उपचारित बीज का लाइसेंस/ अफेडेबिट की छायाप्रति भी संलग्न करेंगे।
16. क्रेता द्वारा लगाई गई बोली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निरस्त/अमान्य की जा सकती है।


सदस्य सचिव
नीलामी समिति

प्रतिलिपि:

1. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय जी को अवलोकनार्थ।
2. निदेशक शोध।
3. वित्त नियंत्रक।
4. प्रभारी अधिकारी/प्रभारी, बीज विधायन संयंत्र को आवश्यक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सूचना पट।
6. सुरक्षा अधिकारी को नीलामी के दौरान सुरक्षा हेतु।
7. कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ, सरधना, गढमुक्तेश्वर, हापुड़।
8. प्रभारी भंडार को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. प्रभारी आई.टी. सेल।